

# Order Sheet [Contd]

Case No 302/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
28-08-2017	<p>आवेदक/अभियुक्त सतेन्द्र सिंह गुर्जर की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>अधीनस्थ जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय गोहद (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के न्यायालय से प्र0क्र0 402/17 ई0फौ0 (पी.एस. मौ वि0 सतेन्द्र गुर्जर) का मूल अभिलेख प्राप्त।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 02.07.2017 से अभिरक्षा में है, प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि फरियादिया ने न तो धारा 161 जा0फौ0 के कथनों में और न ही धारा 164 जा0फौ0 के कथनों में आरोपी के द्वारा ले जाना बताया है। ऐसी स्थिति में कोई अपराध न होने की साक्ष्य के बाद भी आरोपी को प्रकरण में झूठा गिरफ्तार किया गया है।</p> <p>प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर अवयस्क अभियोक्त्री पिकी का व्यपहरण करने का आरोप है।</p> <p>यदि अभियोक्त्री पिकी के धारा 161 जा.फौ. के अंतर्गत अभिलिखित कथनों का अवलोकन किया जाए तो अभियोक्त्री ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि उसकी आरोपी से पहचान है, आरोपी उससे शादी की बात करता था और वह ६ टना दिनांक को आरोपी का फोन देने बाजार जा रही थी, उसी समय उसके माता पिता मस्जिद के पास आ गए और उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। जबकि यदि अभियोक्त्री के धारा 164 जा0फौ0 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो अभियोक्त्री का यह कहना रहा है कि वह आरोपी से मिलती रहती थी, दिनांक 01.07.17 को जब वह अपने माँ के साथ बसस्टेण्ड गई थी तो उस समय आरोपी उसके साथ चलने की जिद करने लगा और उसके मना करने पर वह गुस्सा हो गया और इसी बात पर से आवेदक/अभियुक्त ने उसकी माँ हसीना की मारपीट की दी, जिसकी उनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी।</p>	

आवेदक/अभियुक्त ने अभियोक्त्री का घटना दिनांक को व्यपहरण किया अथवा नहीं यह गुणदोष का विषय है। अभियुक्त/आवेदक दिनांक 01.07.2017 से न्यायिक निरोध में है, प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण की परिस्थितियाँ, उपलब्ध रिकार्ड को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि वह क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 30,000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश करे तो उसे इस प्रकरण के अंतिम निराकरण तक नियमित प्रतिभूति पर मुक्त कर दिया जावे।

1. आरोपी विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगा।
  2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे।
  3. प्रकरण के त्वरित निराकरण में सहयोग करेंगे।
  4. जैसा अभियोग है वैसा अपराध नहीं करेंगे।
- आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को बापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0

प्रतिलिपि,

1. जे.एम.एफ.सी. न्यायालय (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) गोहद, की ओर से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0